कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

निविदा विज्ञप्ति सं0–3343 /तीस–एमबी (2019–2020) दिनॉक : गोपेश्वर : 31 जनवरी, 2020

!! अल्पकालीन निविदा सूचना ।।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–1590 / VII-1/90-ख / 2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रिवर ट्रेंनिग नीति, 2016 एवं शासनादेश संख्या–944 / VII-1/2018/90–ख / 16 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 में दिये गये प्राविधानानुसार जनपद चमोली के नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल, जो चुगान हेतु चिन्हित नहीं है तथा जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में आर0बी0एम0 जमा होने से नदी के तट कटाव एवं जान–माल व आवादी को क्षति होने की सम्भावना के दृष्टिगत राजस्व क्षेत्रों में 02 माह अथवा आर0बी0एम0 की अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, इसमें से जो भी पहले तक अवधि हेतु बिना मशीन (Excavator or JCB, etc) उपयोग के खनन अर्थात मैनुअल विधि से आर0बी0एम0 निस्तारण खुली नीलामी (Open Auction) प्रणाली के माध्यम से आवंटन हेतु नियमानुसार आमंत्रित किये जाते हैं :–

सीलबन्द लिफाफे में निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम दिनॉक, समय एवं स्थान

दिनॉक 14.02.2020, समय : 5:00 बजे अपराह्न तक, स्थान उप जिलाधिकारी, कार्यालय, कर्णप्रयाग।

सीलबन्द लिफाफे में निविदा खोले जाने का स्थान, दिनॉक 15.02.2020 समय 3:30 बजे अपराह्न स्थान – उप जिलाधिकारी कार्यालय, कर्णप्रयाग।

क्षेत्र का विवरण

क0 सं0	आर0बी0एम0क्षेत्र का नाम / ग्राम तथा तहसील	खसरा सं0 / माटा सं0	खनन लॉट का क्षेत्रफल (है0में)	निर्धारित मात्रा प्रतिवर्ष	आधार मूल्य (रू0 में)	बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी रू0 में) (आधार मूल्य का 2%)	हैसियत (आधार मूल्य का 10%)	निविदा प्रपत्र)
1	जयकण्डी / कर्णप्रयाग	001	कुल रकवा 6.930 है0मध्ये 0.090 है0	22000 टन (10000 घनमीटर)	9,00,900.00	18,018.00	90,090.00	5000.00
2	मठोली / कर्णप्रयाग	15	कुल रकवाा 3.090 है0मध्ये 0.075 है0	22000 टन (10000 घनमीटर)	9,00,900.00	18,018.00	90,090.00	5000.00

निविदादाता क्षेत्र की निविदा डाले जाने से पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण कर आर0बी0एम0 क्षेत्र की स्थिति तथा खनिज के सम्बन्ध में जानकारियों से अपने का आश्वस्त कर लें।

निविदा प्रपत्र तथा अन्य विस्तृत विवरण जिला कार्यालय चमोली के कक्ष सं0–10 एवं खान अधिकारी, चमोली के कार्यालय में प्राप्त किये जा सकते है अथवा chamoli.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते है।

(स्वाति एस0भदौरिया)
जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रतिलिपिः–

1– जिला सूचना अधिकारी, चमोली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्थान पद दो दैनिक समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशन करवाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र को अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

2– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, चमोली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को nic.की वेबसाइट पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

3– प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीलामी में समिति में अपने प्रतिनिधि को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

4– उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी(सदस्य–सचिव) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद चमोली।

5– सहायक अभियन्ता, सिचाई खण्ड़, कर्णप्रयाग।

जिलाधिकारी,
चमोली।

एम0एम0—17

(नियम—27—क)

प्रपत्र—I (निविदा प्रारूप)

रिवर ट्रेनिंग क्षेत्र का नाम—

1	रिवर ट्रेनिंग क्षेत्र का विवरण—खसरा सं0	
	क्षेत्रफल हे0 मे	
2	तहसील	
3	जिला	
4	उपखनिज(आर0बी0एम0 / मलवा)	
5	आधार मात्रा आधार मूल्य (अंको मे) (शब्दों)	
6	निविदाकार का नाम	
	(1) निजी व्यक्ति	
	पिता का नाम / पति का नाम	
	पूरा पता	
	स्थायी पता	
	टेलीफोन नम्बर	
	मोबाईल न0	
	पैन कार्ड न0	
7	(1)आवेदन पत्र शुल्क रू0 5000.00 ट्रेजरी चालान की संख्या व दिनांक	
8	अर्नेस्ट मनी का विवरण :— धनराशि (अंको मे) बैंक का नाम बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक	
9	शपथ पत्रों का विवरण (सूची पृथक से संलग्न करें)	

मै / हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र मे दिये गये विवरण सही व सत्य है। यदि भविष्य मे इस सम्बन्ध मे कोई सूचना का विवरण मांगा जायेगा उसको उपलब्ध कराऊंगा। मेरे द्वारा निविदा की सम्पूर्ण शर्तें पढ ली गयी है और मे उनको स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर

रिवर ट्रेनिंग नीति–2016 व 2018 के अन्तर्गत आर0बी0एम0 / मलवा निस्तारण हेतु खुली नीलामी मे प्रतिभाग किये जाने हेतु शर्ते :–

1. आर0बी0एम0 का चुगान समान रूप से समान गहराई तक इस प्रकार वैज्ञानिक विधि से किया जाय कि नदी मध्य भूभाग से प्रवाहित हो सके।
2. आर0बी0एम0 के परिवहन हेतु मार्ग आदि की व्यवस्था स्वयं आवेदक द्वारा की ज़ानी होगी।
3. स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, राजस्व विभाग व वन विभाग से संयुक्त रूप से किया जाना होगा।
4. शासनादेश संख्या 1590 / VII-I/90- ख / 2016 दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा प्रख्यापित रिवर ट्रेनिंग नीति–2016 एवं संख्या 944 / VII-I//2018/90- ख / 16 दिनांक 13 अप्रैल 2018 मे दिये गये प्राविधानों / नियमों का पालन किया जाना होगा।
5. आर0बी0एम0 को हटाने हेतु किसी भी विस्फोटक पदार्थ एवं मशीनों (JCB) का प्रयोग नही किया जायेगा व चुगान कार्य केवल मानव शक्ति से ही किया जायेगा।
6. आर0बी0एम0 हटाने का कार्य सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात नही किया जायेगा।
7. हटाये गये आर0बी0एम0 का विवरण प्रत्येक माह राजस्व विभाग एवं खनन विभाग को प्रस्तुत करेगें।
8. आर0बी0एम0 की निकासी इस रीति से करेगा जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडें।
9. नियति तिथि / समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
10. किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी चमोली के पास सुरक्षित होगा।
11. उच्चतम बोली की 20 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा की जानी होगी।
12. उच्चतम बोलीदाता को रायल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउण्डेशन शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।